कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

Ph. No. 07732-250980, Email ID : dcourtpan-mp@nic.in

क्रमांक /कोरोना वायरस(बण्डल)/2020 पन्ना, दिनांक 13.04.2020

:: विविध आदेश ::

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन कमांक 05/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन हेतु रूपरेखा बनाये जाने के संबंध में ।

संदर्भ : माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क 405/गोप./2020 जबलपुर, दिनांक 07.04.2020 एंव इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देश।

—:000:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में लेख है कि वर्तमान में covid 19 वायरस से फैली महामारी से निपटने के लिए **Social Distancing** का पालन करने के उद्वेश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगामी आदेश तक न्यायालीन कार्यवाहीयों को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बावत् बनाये गये नियमों के अधीन) किये जाने बावत् निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों के पालन हेतु पूर्व में जिले के समस्त न्यायालयों एवं संबंधित एवं संबंधित पक्षों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

इस संबंध में नवीन निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः न्यायालयीन कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश आवश्यक पालन हेतु जारी किये जा रहे हैं :—

1. जिला न्यायालय पन्ना में पूर्व से एक व्ही.सी. कक्ष विचारधीन बंदियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति हेतु उपलब्ध है। उक्त कक्ष को पक्षकार एवं अधिवक्तागण संबंधित न्यायालय से लिंक स्थापित करने के लिये उपयोग कर सकेगे तथा जमानत/शीघ्र सुनवाई/अति आवश्यक कार्यवाही आवेदनों पर तर्क एवं अति आवश्यक प्रकरणों में गवाही (दोनों पक्षकार की सहमति से) आदि के लिये भी उपयोग किया जा सकेगा।

2. उक्त कार्य हेतु जिला मुख्यालय में कार्यरत न्यायालयों की संख्या को दृष्टिगत एक अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जो कि न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के बाजू के कक्ष में संचालित होगा। इसी तरह तहसील न्यायालय पवई में भी एक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के लिये उपलब्ध रहेगा। तहसील अजयगढ़ में भी उक्तानुसार सुविधा उपलब्ध रहेगी।

3. न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही शासकीय वीडियो एप का उपयोग करते हुये की जा रही है। अधिवक्ताओं के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही किये जाने, जिले के समस्त अभिभाषकों को अध्यक्ष, अभिभाषक संघ के माध्यम से उक्त वीडियो एप का यूजर मैन्युअल/यूजर वीडियो प्रेषित कर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।

4. समस्त विद्वान अधिवक्तागण वीडियो एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकगें। एप के माध्यम से न्यायालय में पीठासीन अधिकारी, संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता को उसके मोबाईल पर यू0आर0एल0 भेजकर कॉन्फ्रेंस में प्रकरण की सुनवाई हेतु कनेक्ट करेगें।

5. पक्षकार अथवा अधिवक्तागण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर वे जिला मुख्यालय में श्री बुद्धिराज सिंह, सिस्टम ऑफीसर मोबाईल नम्बर– **9907630532,** तहसील न्यायालय पवई में श्री अरविंद जायसवाल, आई0टी0 असिस्टेंट से मोबाईल नम्बर – **9893778281, 8770556965** तथा तहसील न्यायालय अजयगढ़ में श्री नीरज सिंह, आई0टी0 असिस्टेंट से मोबाईल नम्बर – **9340904399** से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

6. इसके अतिरिक्त भी यदि पक्षकार अथवा अधिवक्तागण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही किये जाने हेतु कोई समस्या होती है, तो इस संबंध में उनके लिये पैरालीगल वालेण्टियर को न्यायमित्र**(Amicus Curaie)** के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इस हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना से कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले पैरालीगल वालेण्टियर के नाम आहूत किये गये हैं। ऐसे पैरालीगल वालेण्टियर जो न्यायमित्र के रूप में कार्य करेंगे, उनके नाम पृथक से मोबाईल नम्बर सहित, सूची जारी की जावेगी। आवश्यक होने पर इस संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आमोद आर्य, के मोबाईल नम्बर **9893089151, 9425490251** पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

7. रिमाण्ड/जमानत/सुपुर्दनामा संबंधित अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक मामलों में पुलिस प्रतिवेदन एवं केस डायरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करने के स्थान पर पुलिस अधीक्षक पन्ना को यह निर्देशित किया गया है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित करे कि वह न्यायालय में पेश की जाने वाली प्रकरण की केस डायरी स्कैन कर प्रेषित किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित करते हुये जिला न्यायालय की ई–मेल आई0डी0 **dcourtpan-mp@nic.in** में मेल करने के उपरांत संबंधित सिस्टम ऑफीसर के मोबाईल नम्बर **9907630532,** पर सूचित करें, जिससे सिस्टम ऑफीसर उक्त मेल को संबंधित न्यायालय में अग्रेषित कर सकें तथा संबंधित न्यायालय अपने न्यायालय के कम्प्युटर पर प्राप्त मेल पर केस डायरी का अवलोकन कर कार्यवाही कर सकें। आवश्यक होने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी को भी उनके मोबाईल नम्बर पर सीधे सूचित किया जा सकेगा।

8. यदि किसी टेक्नीकल कारण से पुलिस प्रतिवेदन/केस डायरी उपरोक्तानुसार ई–मेल न की जा सके तो नोडल अधिकारी/थाना प्रभारी इसे स्वयं लिखित में संबंधित न्यायिक अधिकारी को सूचित करते हुये, पूर्व की भांति पुलिस प्रतिवेदन/केस डायरी शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत कराएंगे।

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामलों एवं पॉक्सो के मामले, (जिसमें पीड़ित हो सुना जाना आवश्यक है) पीड़ित को राज्य/विशेष लोक अभियोजक द्वारा भेजी जाने वाली नोटिस में पक्षकार को यह विकल्प दिया जायेगा कि उसे न्यायालय में

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की आवयश्यकता नहीं है, यदि वह चाहे तो अपने/संरक्षक के मोबाईल नम्बर (जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में कराया हो) से संबंधित न्यायालय के मोबाईल नम्बर **9827212314 (विशेष न्यायाधीश महोदय, एट्रोसिटीज पन्ना) एवं 9926370962 (विशेष न्यायालय, पॉक्सो)** पर व्हाट्सएप या एस0एम0एस0 से भी अपनी आपत्ति प्रेषित कर सकते हैं। यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहे तो उसे न्यायालय के **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम** में उपस्थित होना होगा।

10. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये गये प्रकरण से संबंधित पक्षकार एवं अधिवक्ता को उपस्थिति की सूचना पत्र स्कैण्ड कर व्हाट्सएप किया जायेगा, जिससे कि नियत दिनांक को सुनवाई हेतु न्यायालय में आते–जाते समय वे उसे कोरोनो वायरस लॉक डाउन पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मचारियों को आगमन हेतु दिखा सकें, जिससे कि उनको कोई असुविधा न हो तथा विधि व्यवस्था ड्यूटी में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो।

11. न्यायालयीन कार्यवाहियां अर्थात यथा तर्क सुने जाने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निष्पादित की जावेगी। पक्षकार/अधिवक्तागण अपने तर्क (विचारण अथवा अपील के प्रकृम पर) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उसकी ध्वनि अथवा दृष्टि संबंधी गुणवत्ता (Quality of Audio, Video Visuality) ठीक न होने के संबंध में आपत्ति तत्काल रूप से संबंधित हेल्पलाईन (सिस्टम ऑफीसर) अथवा संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को मोबाईल पर व्हॉट्स–एप/एस0एम0एस0/कॉल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार की शिकायत मान्य नहीं की जावेगी। किन्हीं कारणोंवश यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त कार्यवाही संभावित न हो, तब लिखित रूप से अपने तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे।

12. आवश्यक होने पर साक्ष्य अभिलेखन दोनो पक्षकारों की सहमति से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित की जायेगी। इस संबंध में मान्नीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में बनाये गये नियम 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा।

13. यदि किसी अति–आवश्यक रूप मामलों में न्यायालय कक्ष में साक्ष्य अभिलिखित किया जाना आवश्यक हो तब संबंधित पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दो व्यक्तियों के मध्य उचित दूरी बनी रहे। प्रकरण से संबंधित कोई पक्षकार को प्रकरण की कार्यवाही के द्वौरान न्यायालय कक्ष में प्रवेश से तब तक नहीं रोका जावेगा जब तक कि वह किसी संक्रमण जनति बीमारी से ग्रसित न हो किन्तु पक्षकारों की संख्या अधिक होने पर न्यायालय पक्षकारों कों प्रतिबंधित कर सकेगा और यदि प्रतिबंधित किया जाना संभव न हो तो न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर सकेगा।

14. न्यायालय के मुख्य द्वार से केवल अधिवक्तागण, अभियुक्त, संबंधित पुलिस कर्मी एवं आवश्यक पक्षकार को ही प्रवेश दिया जावेगा।

15. पक्षकार/अधिवक्तागण/गवाह/ पुलिस कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति का बिना मास्क (चेहरा कवर किये बिना) न्यायालय परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।

16. सुनवाई केवल व्ही.सी. के माध्यम से ही करायी जावेगी। व्ही.सी.रूम के द्वार पर सेनेटाइजर रखा जावेगा जिससे कक्ष में प्रवेश के पूर्व सेनेटाइज होकर ही प्रवेश किया जा सके। उक्त कक्ष में प्रवेश अथवा न्यायालय कक्ष में प्रवेश एक के

बाद एक कम से होगा।

17. किन्ही कारणों से व्ही.सी. के माध्यम से कार्यवाही बाधित होती है तो न्यायालय के द्वार पर सेनेटाइजर का प्रयोग करने के उपरान्त ही अधिवक्ता अथवा पक्षकारों को प्रवेश दिया जावेगा।

18. कोर्ट रूम में डायस से 6 फिट का **Distance Maintain** किया जावेगा तथा इस बावत् प्रत्येक न्यायालय में **Social Distancing** को **Maintain** करने हेतु एक रस्सी अथवा रिबिन का बेरिगेट के रूप में प्रयोग किया जावेगा।

19. कोर्ट रूम में भी कार्यवाही के द्वौरान मास्क लगाये रखना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक कर्मचारी अपने पास सेनेटाईजर रखेगा, जिससे कि फाईलों के आदान–प्रदान होने के उपरान्त सेनेटाईजर का प्रयोग कर संक्रमण से बचा जा सकेगा।

20. रिमाण्ड कार्यवाही अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त को जेल अभिरक्षा में भेजे जाने के समय उसकी मेडिकल जांच करायी जावेगी एवं रिपोर्ट आने के बाद ही उसे जेल भेजा जावेगा यदि रिपोर्ट आने में किसी कारण से विलम्ब होता है तो अभियुक्त को रिपोर्ट आने तक संबंधित जेल में अलग कोरन्टाईन में रखा जावेगा।

21. न्यायालय परिसर को प्रतिदिन न्यायालय समय उपरान्त सेनेटाइज किये जावेगा।

22. जिला मुख्यालय के बाहर संचालित तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण द्वारा उपरोक्त रूपरेखा (Modalities) के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

13-4-2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

317
क्रमांक /कोरोना वायरस(बण्डल)/2020 पन्ना, दिनांक 13.04.2020

प्रतिलिपि,

01 माननीय रजिस्टार जनरल महोदय
उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित

02. समस्त न्यायाधीशगण पन्ना/पवई/अजयगढ़ सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।

03. कलेक्टर पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04. पुलिस अधीक्षक पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05. प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग पन्ना/पवई/अजयगढ़ को उपरोक्त रूपरेखा अनुसार कार्यवाही किये जाने बावत् प्रेषित।

06. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना

07. जेल अधीक्षक जिला जेल पन्ना

08 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ पन्ना/पवई/अजयगढ़

09. मुख्यनगर पालिका अधिकारी पन्ना

10. लोक अभियोजक/सहा.लोक.अभि./जिला अभियोजन अधिकारी/सहा.अभि.अधिकारी पन्ना/पवई/अजयगढ़

11. प्रस्तुतकार, न्यायालय–जिला न्यायाधीश पन्ना
12 सिस्टम आफिसर पन्ना/पवई/ अजयगढ़
13. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय पन्ना
14. प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि/मालखाना/सांख्यिकीय/तलवाना/ ग्रन्थालय/अभिलेखागार अनुभाग पन्नासमस्त अनुभाग जिला जनसंम्पर्क अधिकारी पन्ना
15. कमाण्डेण्ट, होमगार्ड, पन्ना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

13-4-2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)